कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 10/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री अनिल बिश्नोई पुत्र श्री विजय सिंह बिश्नोई निवासी चक 2 एसएसडब्लयू झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

---प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः-20.03.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई गई है। वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ से अपील में कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 4.01.2018 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार शीध्र उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official